बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 345191 पटना, दिनांक 27/12/17

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(कि0नि0)-115-06/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभुकों को सहायता राशि के भुगतान हेतु किस्तों के निर्धारण के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत प्रति इकाई सहायता राशि का दर सामान्य जिलों के लिए ₹ 1,20,000 (एक लाख बीस हजार रूपये) एवं उग्रवाद प्रभावित (IAP) जिलों के लिए ₹ 1,30,000 (एक लाख तीस हजार रूपये) पूर्व से निर्धारित हैं । इस संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए किस्तों का निर्धारण विभागीय पत्रांक-296001 दिनांक-30.12.2016 द्वारा पूर्व में किया गया था । वित्तीय वर्ष 2017-18 की सहायता राशि के भुगतान हेतु किस्तों का निर्धारण निम्नवत किया जाता है :-

किस्त	**राज्य के सामान्य जिलों के लिए (1,20,000)**	**राज्य के IAP जिलों के लिए (औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, कैमूर (भभुआ), सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण) (1,30,000)**
प्रथम किस्त (आवास की स्वीकृति के उपरांत आवास का प्लिंथ तक के निर्माण कार्य के लिए)	₹ 40,000 (चालीस हजार रूपये)	₹ 45,000 (पैंतालीस हजार रूपये)
द्वितीय किस्त (आवास का प्लिंथ तक के निर्माण कार्य के बाद छत स्तर तक निर्माण कार्य के लिए)	₹ 40,000 (चालीस हजार रूपये)	₹ 45,000 (पैंतालीस हजार रूपये)
तृतीय किस्त (आवास का छत स्तर से आवास निर्माण कार्य का फिनिशिंग (प्लास्टर, पेंट, दरवाजा, खिड़की लगाने तथा फ्लोर फिनिशिंग) कार्य को पूर्ण करने के लिए)	₹ 40,000 (चालीस हजार रूपये)	₹ 40,000 (चालीस हजार रूपये)

2. योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों में से जिन लाभुकों का पूर्व से सामान्य बचत खाता उपलब्ध है तो नया बचत खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है । पूर्व से सामान्य बचत खाता उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ही नया खाता खोलकर उनके बैंक विवरणी (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति) के आधार पर उनके बैंक खाता को आवास सॉफ्ट पर निबंधित किया जायेगा । किसी भी स्थिति में लाभुक का पासबुक नहीं लिया जायेगा ।

3. प्रथम किस्त की राशि लाभुकों को आवास की स्वीकृति के उपरांत अग्रिम रूप में दी जायेगी, द्वितीय किस्त की राशि प्लिंथ तक के निर्माण कार्य के बाद तथा तृतीय किस्त की राशि छत स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत दी जायेगी ।

4. आवास निर्माण का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के लिए लाभान्वितों को स्वीकृति के समय प्रखण्ड कार्यालय से एग्रीमेन्ट करना होगा कि राशि की स्वीकृति के 12 (बारह) माह के अंदर आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर लिखित रूप से फोटोयुक्त साक्ष्य नहीं देने पर उनसे राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी ।

5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि आवास निर्माण कार्य की प्रगति को दर्शाने के लिए कार्य प्रारंभ के पूर्व, प्लिंथ तक निर्माण कार्य के बाद, छत स्तर तक निर्माण कार्य एवं आवास का छत निर्माण कार्य का फिनिशिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरांत फोटो आवास सॉफ्ट पर अपलोड करायेंगे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2017-18 के लिए उपर्युक्त पुर्ननिर्धारित दर एवं दिशा-निर्देशों के आलोक में योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाय ।

विश्वासभाजन

22/12/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 345131 पटना, दिनांक 27/12/17

प्रतिलिपि- सभी विभाग के मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निमित्त प्रेषित ।

22/12/2017

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 345131 पटना, दिनांक 27/12/17

प्रतिलिपि- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/12/2017

सरकार के सचिव